संख्या-4 /2023/53-2099-1166/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-15(गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल) में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-641/वित्त सम्भाग-3/बजट/पुनर्विनियोग/21-22, दिनांक 07 दिसम्बर 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-15 (गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल) में पुनर्विनियोग किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन के सम्भावित बचत रू0 15.00 लाख में से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) के अनुसार रू0 15.00 लाख के सापेक्ष रू0 7.50 लाख (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल खरीद हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।
(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वितीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-2404- डेरी विकास-001 निदेशन तथा प्रशासन- 03 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं के मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-9(भाग-1) के अनुसार अनुदान संख्या-16 लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं के मानक मद-01-वेतन के मद में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 4/2023/53-2099-1166/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/ प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3,उ0प्र0 शासन।

7- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।

8- सम्बन्धित कोषाधिकारी।

9- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।